यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 314/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

01. मोहन लाल पिता चतरा जी जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. पुष्पा देवी जरिये संरपच ग्राम पंचायत करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राधेश्याम पिता शंकर लाल टांक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री बन्टु सिह चुण्डावत ––अधिवक्ता प्रार्थी
2. एकपक्षीय ––अधिवक्ता वि.सं.
3. पेरोकार सरकार –– उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक– 07..01.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वादपत्र धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजी ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की हाल आराजी नम्बर 2297 रकबा 0.6829 हैक्टयर है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है व 30–40 वर्षो से कृषि आराजियात पर फसल काश्त कर रहा है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2297 के एक दिशा मे सड़क है तथा एक दिशा मे आराजी संख्या 2237 है जो कि आम रास्ता है व आम रास्ते से लगती हुई कृषि आराजियात तथा दूसरी तरफ आराजी संख्या 2264/3 से लगी हुई मेरी कृषि आराजी है, उक्त आराजी के मध्य उक्त कृषि आराजियात प्रार्थी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 03 एवं 04 राजनैतिक द्वेषतावश जो कि ग्राम पंचायत करेड़ा के संरपच होने के कारण द्वेषता रखती हे व विपक्षी संख्या 04 विपक्षी सख्या 03 का पति होने के कारण अपने राजनैतिक प्रभाव व धनवल के आधार पर मेरी कृषि आराजियात 2297 के बीचो बीच रास्त कायम करने पर आमादा है, जिसका विपक्षी संख्या 03 एवं 04 का कोई अधिकार नही है, जिन्हे स्थायी निषधाज्ञा से पावद किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। विपक्षी संख्य 03 व 04 दिनांक 13/11/2022 को मौके पर आये व जे.सी.बी. मशीन लेकर आये व प्रार्थी को कहा कि तेरी कृषि आराजियात के बीचो बीच रास्ता कायम करेगे ओर रोड़ डाल दूंगा, क्योकि अभी हमारा राज है तथा विभिन्न योजनाओ के तहत तेरी कृषि आराजियात मे हम जबरन रास्ता कायम करके ही रहेगे। यदि विपक्षीगण संख्या 03 व 04 प्रार्थी की कृषि आराजियात के मध्य से रास्ता कायम कर लेगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी , क्योकि प्रार्थी ने उक्त आराजियात को काफी धनराशि

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

खर्च कर काबिल उपयोग उपभोग बनाया है। यदि विपक्षीगण उक्त आराजी के मध्य रास्ता कायम कर देगे तो प्रार्थी की आराजियात फसल काश्त करने लायक नही रहेगी इसलिए विपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादी प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है ओर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी वादी के पक्ष मे है । अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**
2– **सुविधा संतुलन**
3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये, जिसके अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसमे कोई रास्ता दर्ज नही है, विपक्षीगण द्वारा रास्ता निकाल देने से प्रार्थी को क्षति होगी, प्रार्थी भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया गया है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित होने से व कब्जा प्रार्थी का होने व प्रार्थी को बेदखल करने व भूमि के बीचो बीच रास्ता निकालने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है। अतः प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य वाद विवाद व वाद बहुल्यता न बढे , सम्पति को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद तक जारी किया जाना उचित पाता हूँ।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की हाल आराजी नम्बर 2297 रकबा 0.6829 हैक्टयर मे कोई रास्ता कायम नही करे व प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तो स्वयं करे व किसी अन्य से करावे व प्रार्थी फसल काश्त करने देव व प्रार्थी को मौके से बेदखल बेदखल नही करे व न ही किसी अन्य से करावें ।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)